

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्राविधानों का उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत बन्ध-पत्र

उ०प्र० पुलिस / यातायात पुलिस

बुक क्रमांक 291

रसीद क्रमांक 14522

वाहन का रजिस्ट्रेशन नं० 412-724117-5731

वाहन स्वामी का नाम ओमकारामजी पुत्र
पता मुड़गावा

उल्लंघन करने का स्थान विजयनगर तिराहा थाना क्षेत्र विजयनगर

दिनांक 19/8/18 समय परमिट नं०

वाहन की किस्म परमिट की वैधता

ड्राइविंग लाइसेन्स नं० वैधता

(अभियोग चलाने अथवा साक्ष्य देने बन्ध-पत्र)

चालक मोहन सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह पता 1843 सिद्धाथि निहा
थाना विजयनगर जिला गठवाट का निवासी है। इस लेख द्वारा
वचन देता/देती हूँ कि आगामी दिनांक 30/8/18 समय 10 बजे प्रातः को AC-500-1-6728 के

न्यायालय में उपस्थित होकर वहाँ अपने उपर लगाये हुए मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन अभियोग
के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिए उपस्थित रहूँगा / रहूँगी और उपस्थित न होने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित
दण्ड/जुर्माने के लिए उत्तरदायी हूँगा/हूँगी।

वाहन चालक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के वर्णित प्राविधानों/धाराओं का उल्लंघन किये जाने का विवरण निम्नवत है।

क्र०	अपराध का विवरण	धारा
------	----------------	------

पालक के पास भैफेयर
कोई कागजात नहीं है।

20/8/18
सीज

चालानकर्ता अधिकारी द्वारा बन्ध-पत्र के
साथ प्राप्त किये गये कागजात का विवरण

- 1) रजिस्ट्रेशन (4) परमिट
- 2) डी०एल० (5) कोई नहीं
- 3) बीमा

चालानकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम SI

विजयनगर

जनपद गठवाट

बन्ध-पत्र/विवरण की प्रति प्राप्त की

हस्ताक्षर चालक Gyanendra Singh